

पत्रा...  
को पेश हो

14<sup>3</sup>/<sub>18</sub>

पत्रावली बना हुई। अन्य राजकीय/प्रशासन गौरी व अन्य अभियान 2010 में व्याप्त है। पत्रावली अंतिम आदेश दि० 22/3/18 को पेश हो

22<sup>3</sup>/<sub>18</sub>

पत्रावली बना हुई। अन्य राजकीय/प्रशासन गौरी व अन्य अभियान 2010 में व्याप्त है। पत्रावली अंतिम आदेश दि० 7/5/18 को पेश हो

07/5/18

पत्रावली बना हुई। अन्य राजकीय/प्रशासन गौरी व अन्य अभियान 2010 में व्याप्त है। पत्रावली अंतिम आदेश दि० 1-6/18 को पेश हो

01-6-18

पत्रावली राजव लेड कदालत 2018 के पत्रावली में पेशद्विती वादपत्र का आवलोकन विद्य गमा/ वारीयागण ने मह बाद बाबर इलाज दुहाली व शहन शब्द हयके वारत पेश विद्य है। धारा 43(3) (4) (5) राजस्थान काइतकारी अधिनियम के तहत 5 वर्ष के अधिक व 20 वर्ष निष्पादन तारीख से त. नं. 129 रकवा

नाम  
अर्ज  
हुकूम  
में

हुकूम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख  
अदालत जो इस  
हुकूम की तारीख  
में जारी हुई

02-03 बीघा व ख-नं 499 रकबा 0-12 बीघा  
कुल क्षेत्र 02 कुल रकबा 02-15 बीघा बाड़े  
ग्राम काचरिया में हो जाये है। अतः निम्नानुसार  
रहन का अंकन कराया जाना उचित है। राज्य  
सरकार के अधिनियम लोड क्लियर / क्लियर  
केटि के अनुसार काश्तकारों के बीच कम से  
कम बाँट दिया हो तथा नियमों की जानकारी  
के अभाव में अनावश्यक कर नहीं बढे। अतः  
बाँट बाँट राजस्व लोड क्लियर की भावना से  
अध्यात्म स्वीकार किया जाना उचित समझता  
है। अतः बाँट बाँट का बाँट लोड क्लियर की  
भावना से अध्यात्म में स्वीकार किया जाता  
है। धारा 43(3)(4)(5) राजस्थान काश्तकारी  
अधिनियम के तहत ख-नं 499 ख-नं 129  
रकबा 02-03 बीघा व ख-नं 499 रकबा 0-12  
बीघा कुल क्षेत्र 02 कुल रकबा 02-15 बीघा  
बाड़े ग्राम काचरिया तब 2068-71 में  
रहन बाँट जास्त किया जाकर प्रतिव्यक्तिगत के  
नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के  
आदेश तहसीलदार निवाडे को दिये जाते  
हैं। पन्चा लिखी जारी है। पत्रावली फ़ैल  
शुमार होकर नम्बर में कम हो तथा  
दफ्तर दाखिल है।

31  
11/6/18  
अध्यक्ष  
बुधवार 11/6/18  
दफ्तर, जयपुर

